

## कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, श्रावस्ती।

पत्रांक-

जि०का०अधि०/आ०बा०सहायिका चयन/विज्ञप्ति/2025-26 दिनांक- 18-11-2025

### विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-1 /1092245 /2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद श्रावस्ती के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के मानदेय आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत वैकेंसी मैनेजमेण्ट पोर्टल <https@upanganwadibharti>- पर ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 19.11.2025 से आमंत्रित किये जाने हैं।

### रिक्त पदों का वार्डवार/परियोजनावार विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	परियोजना का नाम	पूर्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की नियुक्ति प्रक्रिया के उपरान्त अवशेष रिक्त पदों की संख्या	सहायिकाओं की रिक्त पदों की संख्या
01	गिलौला	01	109
02	इकौना	01	63
03	हरिहरपुररानी	03	97
04	सिरसिया	05	60
05	जमुनहा	04	64
06	शहर	02	06
योग		16	399

उक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण जनपद के कलेक्टर, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड, बाल विकास परियोजना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ ही वैकेंसी मैनेजमेण्ट पोर्टल <https@upanganwadibharti> पद पर अपलोड कर दिया गया है। विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु नियम एवं शर्तें निम्नवत् हैं-

- 01- विज्ञापित पदों पर केवल स्थानीय /भारतीय महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी।
- 02- चयन की समस्त कार्यवाही शासनादेश संख्या-1 /1092245 /2025/3313/58-1-2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी।
- 03- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष होगी।
- 04- आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड (नगर निकाय की स्थिति में)/रिक्त ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में) की स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा।

  
क्याम्प



05- आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ तिथि (01.07.2025 ) को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी ।

06- आयु के सम्बन्ध में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिकाओं के लिए हाई-स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

**सीधी भर्ती हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के पदों पर उपर्युक्त शासनादेश के बिन्दु-03 के प्रस्तर-(ग) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार चयन की वरीयता निम्नानुसार होगी-**

- (I)- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला को वरीयता दी जायेगी ।
- (II)- उसी ग्राम सभा/वार्ड की (शहरी क्षेत्र में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला ।
- (III)- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

**शासनादेश के बिन्दु-03 के प्रस्तर-(घ) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही चयन की वरीयता निम्नानुसार होगी-**

- (I)- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला ।
- (II)- उसी ग्राम सभा/वार्ड की (शहरी क्षेत्र में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाली परिवार की विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला ।
- (III)- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

**शासनादेश के बिन्दु-03 के प्रस्तर-(ड.) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार चयन की वरीयता निम्नानुसार होगी-**

उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।

**शासनादेश के बिन्दु-03 के प्रस्तर-(च) के अनुसार निम्न होगी-**

- (I)- विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र या परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
- (II)- तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।

  
उत्तर



(III)- आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3959/1-9-11-राज0-9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।

गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26-2-2015, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।

(IV)- निवास व जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।

(V)- आय प्रमाण पत्र की वैधता की गणना विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से की जायेगी।

06- विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त भी रिक्त पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

07- जो पद जिस श्रेणी हेतु आरक्षित है, उसी श्रेणी के आवेदन मान्य होंगे। अनारक्षित श्रेणी के पदों पर किसी भी जाति के आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे।

08- विज्ञापित पदों हेतु केवल वैकेन्सी मैनेजमेण्ट पोर्टल <https://upanganwadibharti.com> पद पर ऑनलाइन आवेदन फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर स्वीकार होंगे। ऑफलाइन आवेदन फार्म किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे, समस्त चयन की कार्यवाही उक्त पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर चाली गई वांछित सूचना न भरने पर ऑफलाइन कोई दावा मान्य नहीं होगा।

09- आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही-सही सावधानी पूर्वक भरना होगा, किसी भी प्रकार की त्रुटि होने या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जाने पर पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए आवेदिका स्वयं उत्तरदायी होगी। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व हस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो अपलोड किया जाना अनिवार्य है, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया हो।

10- उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.com> पद पर भी उपलब्ध है साथ ही अधिक जानकारी हेतु तहसील कार्यालय/खण्ड विकास कार्यालय/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विकास भवन में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास) श्रावस्ती से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयावधि में प्राप्त की जा सकती है।

11- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका भर्ती में अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मेरिट, न्यूनतम इण्टरमीडियट के अंकों में स्नातक एवं परास्नातक के अंको को जोड़कर विभागीय पोर्टल के माध्यम से शासनादेश के बिन्दु-7 के प्रस्तर-(II) में उल्लिखित गणना के अनुसार मेरिट बनायी जायेगी।

12- उपरोक्त समस्त परीक्षाओं के अंक जोड़ने के पश्चात मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक व आयु भी समान हो, तो अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

  
पु0प्र0



- 13- अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहें आवेदन फार्म में विधवा/ तलाकशुदा/परित्यक्ता/दिव्यांगता श्रेणी का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। आवेदन फार्म में उक्त श्रेणी का उल्लेख न करने पर अभ्यर्थी को विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता/दिव्यांगता श्रेणी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य/स्वीकार नहीं होगा।
- 14- विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 09.12.2025 को रात्रि 12 बजे तक होगी।

( प्रभात कुमार दास )  
जिला कार्यक्रम अधिकारी  
श्रावस्ती ।

पृष्ठांकन संख्या- 61196 / तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र० लखनऊ ।
2. जिलाधिकारी, महोदय श्रावस्ती ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय श्रावस्ती ।
4. जिला सूचना अधिकारी, महोदय श्रावस्ती ।
5. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद श्रावस्ती को इस निर्देश के साथ कि विज्ञापित की प्रति उपजिलाधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी/बाल विकास परियोजना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें ।
6. प्रधान सम्पादक, अमर उजाला एवं उपभोक्ता की दुनिया को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञापित न्यूनतम दर पर प्रकाशित करने के साथ ही बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

( प्रभात कुमार दास )  
जिला कार्यक्रम अधिकारी  
श्रावस्ती ।